| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/टिए/1435/2005 /जयपुर<br>करन बनाम किशन | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15-06-2018 | **एकल पीठ**<br>**श्री महावीर सिंह, सदस्य**<br><br>**उपस्थिति :-**<br>श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थी<br>श्रीमती पूनम माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थी<br><br>**निर्णय**<br><br>हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर द्वारा दिनांक 18-3-2005 को प्रकरण संख्या 1/8/04 अनुवानी करना बनाम किशन में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।<br><br>हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी।<br><br>प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि वादी/वर्तमान निगराकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के न्यायालय में इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरुद्ध प्रतिवादी-अप्रार्थीगण ग्राम गारु तहसील लक्ष्मनगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 1626 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी-अप्रार्थी द्वारा वाद को लम्बा करने की नीयत से, बाबजूद कई अवसर दिए जाने के, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक 19-1-2001 व 2-3-2001 को साक्ष्य बन्द कर दी गई। साक्ष्य खोलने हेतु आवेदन करने पर इनका प्रार्थना पत्र दिनांक 2-4-2004 को कॉस्ट के आधार पर स्वीकार किया गया। इसके उपरान्त भी दिनांक 30-4-2004 एवं 18-6-2004 को इनके द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई। दिनांक 17-6-2004 को एक साक्ष्य प्रस्तुत की किन्तु स्वयं उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 16-7-2004 को प्रतिवादी-अप्रार्थी द्वारा स्वयं के परीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु इस आवेदन को अधीनस्थ | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/टिए/1435/2005 /जयपुर<br>करन बनाम किशन | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | न्यायालय द्वारा अविधिक रुप से दिनांक 18–3–2005 को स्वीकार कर लिया गया। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि नियमानुसार प्रतिवादी को तीन से ज्यादा मौके साक्ष्य हेतु नहीं दिए जा सकते हैं किन्तु इस प्रकरण में प्रतिवादी को स्वयं की साक्ष्य हेतु कई अवसर प्रदान किए गए हैं किन्तु उनके द्वारा साक्ष्य नहीं कराई गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर देने से प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रुप से देरी हो रही है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अन्त में निवेदन किया कि निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन आदेश को निरस्त किया जाये।<br>अप्रार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी का प्रकरण को लम्बा करने का कोई इरादा नहीं है। प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी द्वारा सहवन से डी0डब्ल्यू0–1 के बयान दिनांक 18–3–2005 को कराए गए हैं किन्तु अक प्रतिवादी अप्रार्थी अपने स्वयं के बयाना कराना चाहता है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत इस आदेश में हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।<br><br>अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।<br><br>पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/वर्तमान निगराकार द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया उसमें प्रतिवादी द्वारा स्वयं की साक्ष्य नहीं करा कर डी0ड0 1 गवाह सोशन की साक्ष्य कराई है जब कि प्रतिवादी को स्वयं की साक्ष्य करानी चाहिए थी। प्रतिवादी द्वारा कथन किया है कि ऐसा सहवन से ही हुआ है, अतः उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। प्रतिवादी–अप्रार्थी स्वयं उस दिन उपस्थित हुआ है और न्यायालय ने भी अपने निर्णय में माना है कि प्रतिवादी की वाद को लम्बा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज<br><br>निगरानी/टिए/1435/2005 /जयपुर<br>करन बनाम किशन | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | करने की मंशा नहीं रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसरण में ही प्रतिवादी को कॉस्ट के आधार पर स्वयं की साक्ष्य करने की अनुमति प्रदान की है। हमारा भी मत है कि प्रतिवादी को साक्ष्य का एक मौका और दिया जाना न्यायोचित है और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रकरण में गुणावगुण आधारित निस्तारण नहीं हो पाएगा। अतः इस प्रकार की स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता होना नहीं पाते हैं और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन पाए जाने से **खारिज** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण काफी पुराना हो चुका है, अतः यदि आगामी निर्धारित तिथि पर प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य नहीं कराई जातीर है तो प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। उभय पक्ष दिनांक 29-06-2018 को उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(महावीर सिंह)**<br>**सदस्य** | |